I/66690/2023

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 715 दिनांक 25.10.2022 द्वारा श्री सुधांशु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02716) के विरूद्ध श्री हसीबुर रहमान के परिवाद पत्र के आलोक में कार्य करने के एवज में राशि की उगाही करने करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक I/36733 दिनांक 30.11.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय स्तर पर उक्त जिला के लिए नामित्त नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया है। नोडल पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का मंतव्य दिया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित का कृत्य एक स्वच्छ कर्मी का नहीं है। साथ ही इनके द्वारा स्पष्टीरण नहीं दिया जाना भी आदेश की अवहेलना का द्योतक है। परन्तु इनके आचरण में सुधार के दृष्टिगत एक अवसर प्रदान करते हुए तत्काल मात्र दण्ड स्वरूप 03 माह के मानदेय की कटौती की जाती है।

साथ ही चेतावनी दी जाती है कि यदि भविष्य में इनके विरूद्ध विपरित प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

2. संचिका में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by Anil Kumar
Singh
Date: 16-06-2023 17:17:22

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री सुधांशु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02716), बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।